कार्यालय आत्मा, पूर्वी सिंहभूम

दिनांक 19.08.2023 को कृषिउन्नति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन" (AE) उपयोजना वर्ष 2023-24 के क्रियान्वयन हेतु आयोजित आत्मा शासकीय निकाय (AGB) की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति पंजी अलग से संधारित है ।

दिनांक 19.08.2023 को उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2023-24 आत्मा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु आत्मा शासकीय निकाय की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गयी ।

सर्वप्रथम जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, आत्मा पूर्वी सिंहभूम के द्वारा उपायुक्त -सह- अध्यक्ष आत्मा, पूर्वी सिंहभूम एवं आत्मा शासकीय निकाय के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार बैठक प्रारंभ की गयी।

निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 327 दिनांक 27.06.2023 एवं राज्यादेश सं0 36 दिनांक 22.07.2023 द्वारा Agricultural Extension योजना के तहत् वर्ष 2023-24 में कुल 224.44413 लाख राशि का जिला प्रसार कार्य योजना स्वीकृत है जिसका मदवार गतिविधियों का क्रियान्वयन हेतु गतिविधिवार चर्चा की गयी।

(i) किसानों का प्रशिक्षण -

(क) अन्तर्राजकीय प्रशिक्षण -

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि जिला के 25 कृषकों के 1 समूह को राज्य से बाहर पाँच (5) दिवसीय प्रशिक्षण कराने का प्रावधान है । प्रति प्रशिक्षण 1.560 लाख रू0 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है। प्रशिक्षण हेतु 01 समूह में 25 कृषकों को आत्मा के माध्यम से निम्नवत किसी एक संस्था में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा।

क्रम सं.	प्रशिक्षण की संख्या	प्रशिक्षण हेतु संस्थान का नाम	प्रशिक्षण हेतु ले जाने वाले संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय	माह
1	1	1. KVK, Nimpith, W.B 2. Central horticultural experiment station (CHES), Bhubaneswar 3. Regional centre for organic and natural farming (RCOF), Bhubaneswar (East Zone) , Odisha	आत्मा, पूर्वी सिंहभूम	समेकित कृषि प्रणाली सह जैविक खेती	नवम्बर-दिसम्बर 2023

उपरोक्त संस्थान से अनुमानित लागत एवं तिथि प्राप्त कर कृषकों का अन्तर्राजकीय प्रशिक्षण कराने हेतु आत्मा शासकीय निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

ख) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 1 इकाई राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हेतु 1.25 लाख रू0 कर्णांकित है। 5 दिवसीय कुल 25 किसानों का प्रशिक्षण राज्यस्तरीय संस्थान में से किन्हीं एक संस्थान से वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति मिलने पर प्रशिक्षण कराया जा सकता है।

क्रम सं.	प्रशिक्षण की संख्या	प्रशिक्षण हेतु संस्थान का नाम	प्रशिक्षण हेतु ले जाने वाले संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय	माह
1	1	1. HARP, Palandu, Ranchi 2. KVK, Ranchi	आत्मा, पूर्वी सिंहभूम	समेकित कृषि प्रणाली सह जैविक खेती	नवम्बर 2023

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा कृषकों का राजकीय प्रशिक्षण उपरोक्त संस्थान से कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

ग) जिला अन्तर्गत प्रशिक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि कुल 8 इकाई जिला अन्तर्गत कृषक प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर कराने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत आवासीय या गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है। 30 कृषकों के लिए प्रशिक्षण हेतु प्रति ईकाई 36,000/– (छत्तीस हजार) रू0 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है । निम्न प्रखण्डों के किसानों को प्रशिक्षण कराया जाना है।

क्रम सं0	प्रखण्ड	प्रशिक्षणों की संख्या एवं कृषक	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण स्थान का नाम
1	पोटका	1. प्रति इकाई 30 कृषकों का 3 दिवसीय कुल 8 इकाई कुल 240 किसानों का आवासीय प्रशिक्षण या 2. प्रति इकाई 48 कृषकों का 3 दिवसीय कुल 8 इकाई कुल 384 किसानों का गैर आवासीय प्रशिक्षण	समेकित कृषि प्रणाली, रबी फसलों की उन्न्त खेती, सुक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग विधि से खेती, जैविक खेती विषय पर प्रशिक्षण	पंचायत स्तर पर/ कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र/ कृषि विज्ञान केन्द्र
2	बोड़ाम			
3	डुमरिया			
4	घाटशिला			
5	धालभूमगढ़			
6	चाकुलिया			
7	बहरागोड़ा			
8	गुड़ाबांधा			

उपरोक्त विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) द्वारा आयोजित किया जाएगा जिसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में कृषि विज्ञान केन्द्र एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक, विभागीय पदाधिकारी, गैर सरकारी संस्था के तकनीकी विशेषज्ञ एवं प्रगतिशील किसान होंगे।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा जिला अन्तर्गत कृषकों का प्रशिक्षण सुविधानुसार पंचायत स्तर पर/ कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र (ATIC)/ कृषि विज्ञान केन्द्र में कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ii) प्रत्यक्षण –

(क) कृषि के संबद्ध विभाग से संबंधित प्रत्यक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023-24 में स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 4,000 रू0 (चार हजार रूपये) प्रति इकाई की दर से कुल 1.120 लाख राशि कर्णांकित है। कुल 28 इकाई (28 एकड़) फसल प्रत्यक्षण कराया जाना है जिसका प्रखण्डवार लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है ।

क्रम सं0	प्रखण्ड का नाम	प्रत्यक्षण– रबी में मटर की उन्नत प्रभेद की खेती (इकाई)
1	जमशेदपुर	2
2	पोटका	3
3	पटमदा	3
4	बोड़ाम	3
5	मुसाबनी	2
6	डुमरिया	2
7	घाटशिला	3
8	धालभूमगढ़	2
9	चाकुलिया	3
10	बहरागोड़ा	3
11	गुड़ाबांधा	2
	कुल :	**28**

उत्पादन में वृद्धि हेतु रबी मौसम में मटर की उन्नत प्रभेद की खेती कराया जा सकता है। प्रत्यक्षण का कार्य आत्मा कार्यालय, प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा मटर की उन्नत प्रभेद की खेती चयनित कृषकों से कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

(iii) किसानों का परिभ्रमण –

(क) अन्तर्राजकीय परिभ्रमण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023–24 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 1 इकाई किसानों को अन्तर्राजकीय परिभ्रमण कराया जाना है। 25 किसानों का 5 दिवसीय अन्तर्राजकीय परिभ्रमण आत्मा के द्वारा किया जाएगा।

क्रम सं.	परिभ्रमण की संख्या	परिभ्रमण हेतु मत्स्य उत्पादन एवं प्रजनन केन्द्र का नाम	परिभ्रमण हेतु ले जाने वाले संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय	माह
1	1	रामसागर (बांकुड़ा), मोयना (पुर्वी मेदनीपुर), पश्चिम बंगाल	आत्मा, पूर्वी सिंहभूम	मत्स्य पालन	नवम्बर – दिसम्बर 2023

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त संस्थान से अनुमानित लागत एवं तिथि प्राप्त करते हुए कृषकों का अन्तर्राजकीय परिभ्रमण कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ख) राजकीय परिभ्रमण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023–24 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 01 ईकाई 25 कृषकों के लिए राजकीय परिभ्रमण का प्रावधान है। इसके लिए प्रति ईकाई 37,500/– रू0 राशि कर्णांकित है। इसके तहत् जिला के कृषकों को समेकित कृषि प्रणाली आधारित राज्य स्तर के कृषि संस्थानों एवं जिला के बाहर अवस्थित अच्छे नर्सरी, कृषक प्रक्षेत्र में कृषि एवं संबंद्ध विभागों के नई तकनीकों से अवगत कराने हेतु परिभ्रमण कराया जाता है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा परियोजना निदेशक, आत्मा को कृषकों का राजकीय परिभ्रमण कराने की स्वीकृति दी गई।

(ग) जिला अन्तर्गत परिभ्रमण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023–24 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कृषकों को जिला अन्तर्गत परिभ्रमण कराया जाना है। कुल 06 ईकाई 9,000/– रू0 प्रति इकाई की दर से कुल 180 कृषकों को परिभ्रमण करने का प्रावधान है। इसके लिए कुल 0.9900 लाख राशि DEWP कर्णांकित है। कृषक परिभ्रमण का कार्य प्रखण्ड में गठित प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) द्वारा किया जाएगा।

क्रम सं0	लक्ष्य आवंटित प्रखंड का नाम सं0	परिभ्रमण हेतु विषय	प्रखंड जहाँ परिभ्रमण हेतु किसानों को ले जाया जाएगा
1	पटमदा	सब्जी फसलों में सुक्ष्म सिंचाई स्थापित कृषक का खेत	जमशेदपुर
2	मुसाबनी	सब्जी फसलों में सुक्ष्म सिंचाई स्थापित कृषक का खेत	गुड़ाबांदा
3	घाटशिला	किट रहित विचड़ा उत्पादन इकाई प्रक्षेत्र एवं टमाटर की उन्नत तकनीक से खेती की जानकारी	धालभूमगढ़

4	धालभूमगढ़	वर्मी कम्पोस्ट एवं नजदीकी सुक्ष्म सिंचाई स्थापित का कृषक का खेत	चाकुलिया
5	चाकुलिया	किट रहित विचड़ा उत्पादन इकाई प्रक्षेत्र एवं टमाटर की उन्नत तकनीक से खेती की जानकारी	धालभूमगढ़
6	जमशेदपुर	किट रहित विचड़ा उत्पादन इकाई प्रक्षेत्र एवं टमाटर की उन्नत तकनीक से खेती की जानकारी	पटमदा

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्रों में या जिला स्तरीय कृषि मेला या कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषकों का परिभ्रमण कराकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(iv) Mobilization of Farmer's Group –

(क) कृषक समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023-24 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कुल 02 कृषक समूहों का क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कराने का प्रावधान है। 5,000/- रू0 प्रति इकाई की दर से कुल 02 कृषक समूहों के लिए 10,000/- रू0 राशि कर्णांकित है। महिला समूहों को पोषण वाटिका एवं नर्सरी प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। JSLPS से जुड़ी हुई दो सखी मंडल (समूह) को पोषण वाटिका एवं नर्सरी प्रबंधन विषय पर क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा Jharkhand State Livelihood Promotion Society (JSLPS) की दो (2) सखी मंडल का क्षमता विकास प्रशिक्षण कर व्यय करने की स्वीकृति दी गयी।

(ख) Revolving Fund -

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023-24 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 01 कृषक समूह को प्रति समूह के लिए 10,000/- रू0 राशि कर्णांकित है। पोषण वाटिका एवं नर्सरी प्रबंधन पर कार्य कर रही JSLPS से प्राप्त वैसे महिला समूह जो सालों भर कृषि कार्य कर रही है उनको Revolving Fund दिया जा सकता है।

पोषण वाटिका के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली JSLPS से जुड़ी सखी मंडल को प्रक्रियानुसार Revolving Fund देने हेतु आत्मा शासकीय निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ग) Food Security Mission -

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023-24 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 02 ईकाई महिला खाद्य सूरक्षा समूह को देने हेतु कुल 20,000/- रू0 कर्णांकित है। JSLPS से जुड़ी सखी मंडल (समूह) को Food Security Mission अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि देने हेतु चयन किया जा सकता है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा JSLPS से जुड़ी सखी मंडल को प्रक्रियानुसार Food Security Mission अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि/ कृषि से संबंधित उपादान देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

(v) जिला स्तरीय किसान मेला –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में वर्ष 2023-24 में 01 ईकाई किसान मेला का आयोजन करने हेतु 4.00 लाख रूपये

कर्णांकित है। धालभूम एवं घाटशिला अनुमंडल में सुविधानुसार किसान मेला-सह-उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है।

क्रम सं0	प्रखंड का नाम सं0	किसान मेला स्थल	संभावित तिथि
1	घाटशिला	कृषि विज्ञान केन्द्र, दारीसाई, घाटशिला	फरवरी, 2024
2	बोड़ाम	कुईयानी पंचायत प्रांगण, बोड़ाम	फरवरी, 2024

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा दोनों चयनित स्थानों में किसान मेला आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(vi) प्रचार-प्रसार पुस्तिका का मुद्रण –

1. Information Dissemination –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023-24 में जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के अनुसार 02 ईकाई में प्रचार-प्रसार सामग्री का मुद्रण कराया जाना है जिसके तहत् Information Dissemination मद में 0.400 लाख राशि कर्णांकित है। निम्नलिखित 02 विषय पर प्रचार-प्रसार सामग्री का मुद्रण कराया जा सकता है ।

क्रमांक	प्रसार सामग्री का नाम
1	आत्मा के गतिविधियों का संकलन- आत्मा-संदेश (एक पत्रिका)
2	जैविक एवं प्राकृतिक खेती का प्रबंधन (प्रसार पुस्तिका)

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त प्रचार-प्रसार सामग्री का मुद्रण के साथ-साथ 1-2 मिनट का कृषि आधारित विडियो तैयार कर सोशल मिडिया प्लेटफार्म के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. Low Cost Publication –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023-24 में जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के अनुसार प्रचार-प्रसार पुस्तिका का मुद्रण का कराया जाना है जिसके तहत् Low Cost Publication मद में 0.720 लाख रू0 राशि कर्णांकित है। प्रगतिशील कृषकों के सफलता की कहानी का संकलन कर प्रसार-पुस्तिका का मुद्रण कराया जा सकता है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त प्रचार-प्रसार सामग्री का मुद्रण के साथ-साथ 1-2 मिनट का कृषि आधारित विडियो तैयार कर सोशल मिडिया प्लेटफार्म के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(vii) Development of technology package –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023-24 में जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के अनुसार **Development of technology package** मद में 0.20 लाख राशि कर्णांकित है। इसके तहत् विभिन्न फसलों के उत्पादन तकनीक, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी पालन, बतख पालन, विभागीय योजनाओं एवं किसानों के सफलता की कहानी का 7 से 10 मिनट अवधि का

लघु विडियो तैयार किया जाना है। 01 ईकाई तकनीकी फिल्म का निर्माण किसानों के सफलता की कहानी पर तैयार किया जाएगा।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा किसान के सफलता की कहानी पर तकनीकी फिल्म निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(viii) कृषक वैज्ञानिक अन्तर्मिलन –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023–24 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के अनुसार 02 ईकाई कृषक वैज्ञानिक अन्तर्मिलन कार्यक्रम किया जाना है। कुल 0.400 लाख राशि कर्णांकित है। इसके तहत् किसानों एवं वैज्ञानिकों का सीधा–संवाद कार्यक्रम किया जाता है। कृषि एवं संबंद्ध विभाग आधारित तकनीकी विषयों पर किसानों के साथ विचार–विमर्श एवं समस्याओं का समाधान का 02 इकाई कार्यक्रम अनुमंडल स्तर पर कराया जा सकता है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा परियोजना निदेशक आत्मा को तिथि निर्धारित कर कृषि विज्ञान केन्द्र एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक के सहयोग से अनुमंडल स्तर पर कृषक वैज्ञानिक अन्तर्मिलन कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ix) किसान गोष्ठी/ प्रक्षेत्र दिवस –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023–24 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के अनुसार 11 किसान गोष्ठी/ प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन प्रखण्ड स्तर पर किया जाना है । प्रति किसान गोष्ठी/ प्रक्षेत्र दिवस 15,000/– रू0 कुल 1.65 लाख राशि कर्णांकित है। निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 998 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा प्रति ईकाई 5,000/– की दर से तीन भाग में किसान गोष्ठी/ प्रक्षेत्र दिवस कार्यक्रम करने का निर्देश प्राप्त है। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में कृषि एवं संबंद्ध विभागीय केन्द्र एवं राज्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं तकनीकी सुझाव दी जाती है। प्रखण्ड स्तर पर 11 किसान गोष्ठी/ प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन निम्न प्रकार किया जा सकता है।

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	किसान गोष्ठी/प्रक्षेत्र दिवस की संख्या	क्रियान्वयन करने वाले संस्थान का नाम
1.	जमशेदपुर	1	प्रखण्ड तकनीकी दल (Block Technical Team)
2.	पोटका	1	
3.	पटमदा	1	
4.	बोड़ाम	1	
5.	घाटशिला	1	
6.	धालभूमगढ़	1	
7.	चाकुलिया	1	
8.	गुड़ाबांदा	1	
9.	बहरागोड़ा	1	
10.	मुसाबनी	1	
11.	डुमरिया	1	
	कुल –	**11**	

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा प्रखण्डवार लक्षित संख्यानुसार किसान गोष्ठी आयोजित कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(x) कृषक पाठशाला –

परियोजना निदेशक, आत्मा ने बताया कि वर्ष 2023–24 में स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 11 कृषक पाठशाला का स्थापना करने का प्रावधान है। कृषक पाठशाला के माध्यम से ग्राम/ पंचायत स्तर पर कृषि के नये तकनीकों का प्रसार हेतु प्रत्यक्षण के माध्यम से किया जाना है। प्रति कृषक पाठशाला का संचालन हेतु 29,414/– रूपये कर्णांकित है। उन्नत तकनीक से खेती कर अधिक से अधिक फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए 11 कृषक पाठशाला का संचालन पंचायत/ ग्राम स्तर पर आत्मा के प्रसार कर्मी यथा प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा ।

क्रमांक	प्रखंड	प्रति प्रखंड सं0	कृषक पाठशाला में संचालित तकनीक का नाम
1	पोटका	01	मटर की उन्नत खेती
2	जमशेदपुर	01	
3	पटमदा	01	
4	बोड़ाम	01	
5	घाटशिला	01	
6	धालभूमगढ़	01	
7	चाकुलिया	01	
8	बहरागोड़ा	01	
9	गुड़ाबांदा	01	
10	मुसाबनी	01	
11	डुमरिया	01	

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त कुल 11 कृषक पाठशाला के संचालन हेतु व्यय करने की स्वीकृति दी गयी।

(xi) आत्मा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजनान्तर्गत संविदा / दैनिक मजदुरी पर कार्यरत कर्मी / प्रसार कर्मियों का वर्ष 2023–24 हेतु सेवा अवधि विस्तार एवं मानदेय भुगतान की स्वीकृति –

परियोजना निदेशक, आत्मा ने बताया कि वर्ष 2023–24 में स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में आत्मा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजनान्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मी एवं प्रसार कर्मियों को मानदेय भुगतान हेतु वेतन मद में कुल 141.48359 लाख राशि (EPF सहित) है एवं 499 कृषक मित्रों का प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु 59.880 लाख राशि स्वीकृत है। आत्मा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजनान्तर्गत जिलावार एवं प्रखण्डवार कार्यरत कर्मी निम्नवत् है –

क्रमांक	कर्मियों का नाम	पदनाम	पदस्थापन
1	गीता कुमारी	उप परियोजना निदेशक	जिला कार्यालय
2	नीलम जोंको	लेखापाल	जिला कार्यालय
3	अर्जुन सोरेन	कम्प्युटर ऑपरेटर	जिला कार्यालय

4	कौशल कुमार झा	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड घाटशिला
5	संधीर कुमार खलखो	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड धालभूमगढ़ प्रतिनियुक्त समेति, झारखंड, राँची
6	प्रतिमा बानरा	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड मुसाबनी
7	बोधादित्य हाँसदा	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड धालभूमगढ़
8	प्रबीर कुमार	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड जमशेदपुर
9	बृजेश कुमार	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पोटका
10	अनिता कुमारी	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड मुसाबनी
11	शशीकला महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड घाटशिला
12	शशिकला कुमारी	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदस्थापित प्रखण्ड जमशेदपुर प्रतिनियुक्त कृषि निदेशालय, राँची
13	प्रतिमा महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड डुमरिया प्रतिनियुक्त जिला कार्यालय
14	धरमेन्द्रनाथ महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पोटका
15	सुशील कुमार महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बोड़ाम
16	राजकुमार महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदास्थापन प्रखण्ड डुमरिया प्रतिनियुक्त आत्मा कार्यालय प0 सिंहभूम, चाईबासा
17	चैताली दत्ता	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बोड़ाम
18	फुलकेश्वर महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड चाकुलिया
19	जितेन्द्रनाथ रुहीदास	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पटमदा
20	सालगे सोरेन	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पटमदा
21	राजु सरदार	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पोटका
22	दिलेश्वर महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड चाकुलिया
23	तरुण महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदास्थापन प्रखण्ड जमशेदपुर प्रतिनियुक्त जिला कार्यालय
24	कुमारी लक्ष्मी सोरेन	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड जमशेदपुर
25	रसोराज महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड डुमरिया
26	हिरनमय महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड गुड़ाबांदा
27	अमित कुमार	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड गुड़ाबांदा
28	बासुदेव प्रसाद महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बहरागोड़ा
29	निर्मल कुमार महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड धालभूमगढ़
30	दीपक कुमार नायक	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बहरागोड़ा

आत्मा शासकीय निकाय के सदस्यों द्वारा विचारोपरांत आत्मा अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी, कर्मी एवं प्रसार कर्मियों को प्रावधान के अनुसार मानदेय पर 10% वार्षिक वृद्धि सहित वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सेवा अवधि विस्तार करते हुए उनके उपस्थिति विवरणी के अनुसार मासिक परिलब्धि का भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी एवं जिला में आत्मा अन्तर्गत कार्यरत 499 कृषक मित्रों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(xii) आत्मा कर्मियों का हड़ताल अवधि का वेतन का समांजस्य पर चर्चा –

परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.09.2022 से 19.10.2022 तक कुल 43 दिनों तक राज्य स्तर पर सभी आत्मा कर्मी अपने विभिन्न माँगों को लेकर हड़ताल पर थे। हड़ताल समाप्ति के उपरांत कृषि निदेशक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, (Agricultural Extension) का पत्रांक 10 दिनांक 03.04.2023 के द्वारा आत्मा कर्मियों के हड़ताल अवधि के मानदेय के भुगतान संबंधी मामले में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार हड़ताल अवधि के सामंजन हेतु आत्मा के शासी निकाय को प्राधिकृत किया गया है।

परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या 107(श) दिनांक 08.05.2023 के द्वारा हड़ताल पर रहे ANM/GNM/ पारा चिकित्सा अनुबंधकर्मियों के हड़ताल अवधि का मानदेय राजपत्रित अवकाश/ देय अवकाश के दिनों में सेवाएँ प्राप्त करते हुए प्रतिपूर्ति करने के शर्त के साथ विनियमित करते हुए मानदेय भुगतान नियमानुसार करने का निर्णय लिया गया है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा विचारोपरांत आत्मा कर्मियों को कुल 43 दिनों के हड़ताल अवधि का मानदेय भुगतान करने हेतु आत्मा शासकीय निकाय से स्वीकृति प्रदान की गयी।

अंत में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम के अनुमति से जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

22/08/23

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

20/08/2023

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक 323 / आत्मा, दिनांक 22 वीं अगस्त, 2023 ।

प्रतिलिपि : आत्मा शासकीय निकाय के माननीय सभी सदस्यगण, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ समर्पित।

22/08/23

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक 323 / आत्मा, दिनांक 22 वीं अगस्त, 2023 ।

प्रतिलिपि : उपायुक्त-सह-अध्यक्ष/ उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/08/23

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक....323..../ आत्मा, दिनांक....22....वीं अगस्त, 2023 ।

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी (Agriculture Extension), झारखण्ड, राँची/ निदेशक समेति, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/08/23

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक....323..../ आत्मा, दिनांक....22....वीं अगस्त, 2023 ।

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड सरकार की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/08/23

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।